कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड़ देहरादून।
E-Mail ID: nodalfca.forest@uk.gov.in Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2804 /12-1 : देहरादूनः दिनांकः 23 मई, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद–चमोली के अन्तर्गत बगोली–कोटी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.219 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव संख्या **(FP/UK/ROAD/10119/2015)**

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या–08बी/यू0सी0पी0/06/109/2016/एफ0सी0/112, दिनांक 19.5.2020

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त विषयक पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी। वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या इस कार्यालय को आनलाईन प्राप्त हुई है। उक्त प्राप्त अनुपालन आख्या निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

क्र.सं.	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
3 (क)	प्रतिपूरक वनीकरण– वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.44 है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम नौली बंजर भीटा सिविल खसरा संख्या–2 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे।	आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 4.440 हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम नौली सिविल भूमि में प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 1497097.00 की धनराशि कैम्पा मद में आनलाईन चालान के माध्यम से जमा की जा चुकी है। प्रभाग द्वारा वृक्षारोपण के समय स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायेगा।
(ख)	गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ0सी0ए0 1980 की गाइडलाइन के पैरा 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	आख्यानुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल ग्राम नौली सिविल भूमि का नामान्तरण/हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है। म्यूटेशन की प्रति सलग्न है। **(संलग्नक–1)**। भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–2)**

Gen Lett.

(ग)	रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी की आख्यानुसार वृक्षारोपण करते समय 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौध का रोपण किया जायेगा।
(घ)	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	आख्यानुसार प्रमाण–पत्र संलग्न है।**(संलग्नक–3)**
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचालित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तभन की लागत परियोजना प्रधिकरण वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	आख्यानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण से वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तभन की लागत परियोजना प्राधिकरण वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित हेतु धनराशि जमा कर दी गयी है।
5 (क)	शुद्ध वर्तमान मुल्य इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्य न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0(Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0, दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.219 है0 वन क्षेत्र प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मुल्य वसूल करेगी।	आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 1875055.00 कैम्पा फण्ड के खाते में जमा करवा दिया गया है।
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मुल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई है जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की बढी हुई दरों पर एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है **(संलग्नक–4)**।
6	राज्य सरकार पातन किये जाने वाले वृक्षों में Online Part II para 4(ii) में 209 वृक्षों के साथ 177 sapling details भी अंकित करना सुनिश्चित करें साथ ही कुल 386 वृक्षों की Revised enumeration list की हार्ड कापी भी इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	आख्यानुसार वृक्षों की गणना सूची संलग्न है। **(संलग्नक–5)**।
7	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 209 वृक्ष एवं 177 sapling होगी, एवं पेड़ राज्य वन विभाग के शर्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (**https://parivesh-nic.in/**) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किए जाऐंगे।	आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की गयी धनराशि को ई–पोर्टल पर जमा किया जा चुका है। **(संलग्नक–6)**।
9	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित	आख्यानुसार प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।

	किया जायेगा।	
10	प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सडक के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढायेगा।	आख्यानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।**(संलग्नक–7)**।
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाऐंगे।	आख्यानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
12	सी0डब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र घ्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।	आख्यानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	आख्यानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाऐगा।	आख्यानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
15	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	आख्यानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाऐगा।	आख्यानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
17	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाऐगा।	आख्यानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाऐगा।	आख्यानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
19	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा।	आख्यानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
20	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
21	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
22	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या–11–42/2017–एफसी दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
23	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	आख्यानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (**https://parivesh-nic.in/**) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है।

अतः सूचना संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत् प्रकरण में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में वन (संरक्षण एवं संर्वधन) अधिनियम, 1980 यथा संशोधित–2023 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

संख्या : 2804 / 12-1/ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी,
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
3. अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग।

(आर0के0मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

Gen Lett.

(25)

E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांकः– 2934 / 12–1 दिनांक, पौड़ी, जून 17 ,2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय– जनपद चमोली के अन्तर्गत बगोली –कोटी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.219 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 109 / 2016 एफ0सी0 / 112 दिनांक 19.05.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 5541 / 12–1 दिनॉक 09.06.2022 से सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो (1 से 24) की अनुपालन आख्या निम्नप्रकार प्रेषित की गई है:–

क्र0	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण** (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.44 है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम नौली बंजर भीटा सिविल खसरा सं0 2 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाय तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 4.440 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम नौली सिविल भूमि में प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 1497097.00 की धनराशि कैम्पा मद में ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा की जा चुकी है, इस वन प्रभाग द्वारा वृक्षारोपण के समय स्थानीय स्वदेशी प्रजातियो के पौधो को लगाया जायेगा तथा मिश्रित प्रजाति के पौधो का रोपण किया जायेगा।
	(ख) गैर वानकी भूमि को राज्य वन विभाग क पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ0सी0ए0 1980 की **guideline para 2.4 (i)** के अनुसाार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है, एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों मं प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल ग्राम नौली सिविल भूमि का नामान्तरण / हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है। म्यूटेशन की प्रति संलग्न है। **(संलग्न–1)** भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित / संरक्षित वन घोषित प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नः–2)**
	(ग) रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधो का रोपण किया जायेगा।	वृक्षारोपण करते समय 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौध का रोपण किया जायेगा।

क्रमशः पेज 02 पर

सां० अ० प्रभारी–चमोली
आ० का० दे०।

JAIDEEP

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून
पंजी0 सं0 6916
पत्रावली 215
दिनांक 30/6/22

आ० प्र० व० सं० / नो०
28.6.22

	(घ) वन मंडल अधिकरण अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी. ए. क्षेत्र में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	प्रमाण पत्र संलग्न है**(संलग्न–3)**।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तभन की लागत परियोजना प्राधिकारण वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी से वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तभन की लागत परियोजना प्राधिकारण वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित हेतु धनराशि जमा कर दी गयी है।
5	शुद्व वर्तमान मूल्य (क) इस संबध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की WP(C) संख्या 202/1995 में आई0ए0 न0 556 दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रीमडल द्वारा पत्रांक 5–1998–एफ.सी. (PT) दिनांक 18.09.2003 5–2/2006–एफ.सी. दिनाक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता एजेन्सी से इस प्रस्ताव के तहत 2.219 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख)विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभुमि के शुद्व मूल्य अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 18,75,055.00 आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा कर दी गयी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है **(संलग्नक–4)**।
6	राज्य सरकार पातन किये जाने वाले वृक्षो में Online Part II para 4(ii) में 209 वृक्षों के साथ 177 Saplings details भी अंकित करना सुनिश्चित करें साथ ही कुल 386 वृक्षों की Revised enumeration list की हार्ड कॉपी भी इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	वृक्षों की गणना सूची संलग्न है। (संलग्नक–5)
7	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा। जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 209 वृक्ष एवं 177 Saplings होगी, एवं पेड़ राज्य वन विभाग के शर्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।

क्रमशः पेज 03 पर

JAIDEEP

8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://pravesh-nic-in//) के माध्यम से क्षतिपूरक वृक्षारोपण कोष प्रबन्ध और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कैम्पा के खाते में ऑन पोर्टल के माध्यम से धनराशि जमा की जा चुकी है। **(संलग्न–6)**
9	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डो के अनुसार सड़के के दोनो किनारों एवं उसके बीचो बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–7)**
11	संरक्षित क्षेत्रो/वनक्षेत्रों मे निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जायेगे।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
12	सी0डब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार उपयोग कर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
13	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
15	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन की किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
17	संबन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वनक्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
19	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
20	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
21	केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रत्यार्वतन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।

JAIDEEP

क्रमशः पेज 04 पर

E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

22	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तान मंत्रालय के दिशा निर्देश फ़ाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
23	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https//parivesh.nic/) पर अपलोड की जायेगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https//parivesh.nic/) में अपलोड कर दी गई है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(एन0एन0पाण्डेय)
वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,पौड़ी।

पत्रांक / दिनॉक

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग को उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

(एन0एन0पाण्डेय)
वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,पौड़ी।

JAIDEEP

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड़, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग (चमोली)।
Office of the Executive Engineer, P.D, P.W.D. Karanprayag
E-Mail: eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक /10एल०ए० दिनांक 16/05/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर (चमोली)।

विषयः– जनपद चमोली के अन्तर्गत बगोली–कोटी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.219 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 2912/एफ०यू०/यू०के०/रोड़/18867 /2016 देहरादून दिनांक 24.06.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव में भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी०यू०सी०पी० /06/109/2016/एफ०सी०/122 दिनांक 19–05–2022 के द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्वान्तिक स्वीकृति में भारत सरकार के द्वारा दी गई शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत् संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु संख्या	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद की वनभूमि सौंपी जाएगी।	शर्त मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्तरा अभिकरण की लागत पर 4.44 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम नौली बंजर भीटा सिविल खसरा नं0 2 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहा तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।	वन विभाग के द्वारा आख्या दी जानी है।
	(ख) गैर वानकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्वचात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline pata 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है। को वन विभाग के पक्ष हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	म्यूटेशन कर दिया गया है। संलग्न–1
	(ग) रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।	–
	(घ) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी०ए० क्षेत्र मे किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	–
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	विभाग द्वारा वन विभाग की मांग के अनुरूप एन०पी०वी० की धनराशि CAMPA के खाते में जमा कर दी गई है। संलग्न–

उ०नि० (नि०) प्रभारी चमोली
आ० का० दे०

Computer Sandrbh.426
30-5-24

5	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस संबध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की WP(c) संख्या 202/1995 में IA 556 दिनांक 30.10.2008, 0108.2003, 28.03. 2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ॰सी॰ (pt-2) दि॰ 18.09.2003, 5–2/2006– एफ॰सी॰ दि॰ 03.10.2006 एवं 5–3 /2007–एफ॰सी॰ दि॰ 05.02.2009 मे जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.219 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	एन॰पी॰वी॰ की धनराशि रू॰ 33,72,152.00 आर॰टी॰जी॰एस॰ के माध्यम से 150896110119837 मे जमा कर दी गई है। संलग्न–1
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध मूल्य अतिरिक्त, राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है। संलग्न–1
6	राज्य सरकार पातन किये जाने वाले वृक्षों में Online oart II para 4 (ii) में 209 वृक्षो के साथ 177 Saplings details भी अंकित करना सूनिश्चित करें। साथ ही कुल 386 वृक्षो की Revised enumeration list की हार्ड कॉपी भी इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	–
7	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम कर देगा। जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 209 वृक्ष एवं 177 Saplings होगी, एवं पेड़ राज्य वन विभाग के शर्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जायगी।	शर्त मान्य है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https//parivesh.nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधीकरण फंण्ड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेंगे।	CAMPA के खाते में जमा कर दी गई है। संलग्न–
9	एफ॰आर॰ए॰ 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एंव उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ायेगा।	शर्त मान्य है।
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनीयमन साइनेज लगाये जायेंगे।	शर्त मान्य है।
12	सीडब्लूएलडब्लू/एनबीडब्लूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार उपयोग कर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वनि क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।	शर्त मान्य है।
13	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करेगा।	शर्त मान्य है।
14	केन्द सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	शर्त मान्य है।
15	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं करेगा।	शर्त मान्य है।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	शर्त मान्य है।
17	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वनक्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	शर्त मान्य है।
19	इस अनुमोदन में प्रतयावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के	शर्त मान्य है।

	साथ जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा।	
20	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
21	केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	शर्त मान्य है।
22	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एंव पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–एफ॰सी॰ दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त मान्य है।
23	पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वचन एंव वन्य जीवों के संरक्षण द विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	शर्त मान्य है।
24	अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (https//parivesh.nic.in/) पर अपलोड कर दी जायेगी।	उक्त प्रस्ताव का म्यूटेशन दिनांक 07.12.2021 को सत्यापन किया जा चुका है। जिसे ई–पोर्टल (https//parivesh.Nic.in/) पर अपलोड कर दी गई है।

अतः उपरोक्तानुसार भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण शर्तो की अनुपालन आख्या तैयार कर ई–पोर्टल (https//parivesh.nic.in/) पर अपलोड कर वनभूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(इं॰ नवीन लाल वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो॰नि॰वि॰,
कर्णप्रयाग।

पत्रांक 972 /10एल॰ए॰ दिनांक 16/05/2024

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी चमोली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियन्ता, सातवॉ वृत्त, लो॰नि॰वि॰, गोपेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

16.5.24
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो॰नि॰वि॰
कर्णप्रयाग

Computer Sandrbh.428

संलग्नक -1(1)4/6/1125 29/4/2021

– आदेश –

जनपद चमोली अन्तर्गत बगोली–कोटी मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.219है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 4.440 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव तकनीकी अधिकारी(वानिकी), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0–08बीं/यू0सी0पी0/06/109/2016 /एफ0सी0/122 दिनांक 19.05.2020 की शर्त सं0–3(क) के अनुसार एवं उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली अन्तर्गत बगोली–कोटी मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.219 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज् में ग्राम नौली रा0उ0नि0 क्षेत्र थापली तहसील कर्णप्रयाग की ख0खा0सं0–12 के ख़सरा सं0–02 रकबा 7.248 है0 भूमि मध्ये 4.440 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी–10(4) अन्य कारण से अकृषक भूमि के रूप में दर्ज अभिलेख है, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0–2173/XVIII (II) /2012–18(120) /2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(स्वाति एस0 भदौरिया),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्याः 5400/छब्बीस–23(2020–2021) गोपेश्वरः दिनांकः 17 अप्रैल, 2021

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, कर्णप्रयाग।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।
8. भू–लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, कर्णप्रयाग।

जिलाधिकारी,
चमोली।

RKLA(C)
30/4/21

सत्यापित
18.01.2022
सहायक अभियन्ता।
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

Scanned with CamScanner

संलग्नक-1 (2)

NZA खतौनी नकल ग्राम नौली रा० उप० नि० क्षेत्र थापली तह० कर्णप्रयाग जिला चमोली

श्रेणी 10(4) अन्य कारण से अकृषिक भूमि

1	2	3	4	5	6
12	भीटा		2	7.248	जिलाधिकारी चमोली के आदेश सं० 5400/ इक्कीस-23(2020-2021) गोपेश्वर दिनांक 17 अप्रैल 2021 के क्रम में ग्राम नौली के NZA खाता खतौनी सं० 12 में खसरा सं० 2 मध्ये 4.440 हे० भूमि, कलोली कोटी मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित भूमि के सापेक्ष क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण किये जाने बावत खतौनी में अमलदरामद किया गया। (हस्ताक्षर) रा०उप०नि० थापली दि०: 17/07/2021
			71	0.553	
			78	0.013	
			81	0.010	
			120	0.113	
			126	5.086	
			241	0.065	
			312	0.029	
			325	0.008	
			375	0.060	
			413	0.018	
			450	0.030	
			613	0.084	
			617	0.083	
			622	0.014	
			646	0.020	
			693	0.373	नकल खतौनी असल से तैयार किया।
			704	0.039	
			799	0.095	
		सम्पूर्ण योग	19	13.996	

(हस्ताक्षर)

(मुहर) तहसील ... थापली

सत्यापित
(हस्ताक्षर)
18.01.2022
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

Scanned with CamScanner

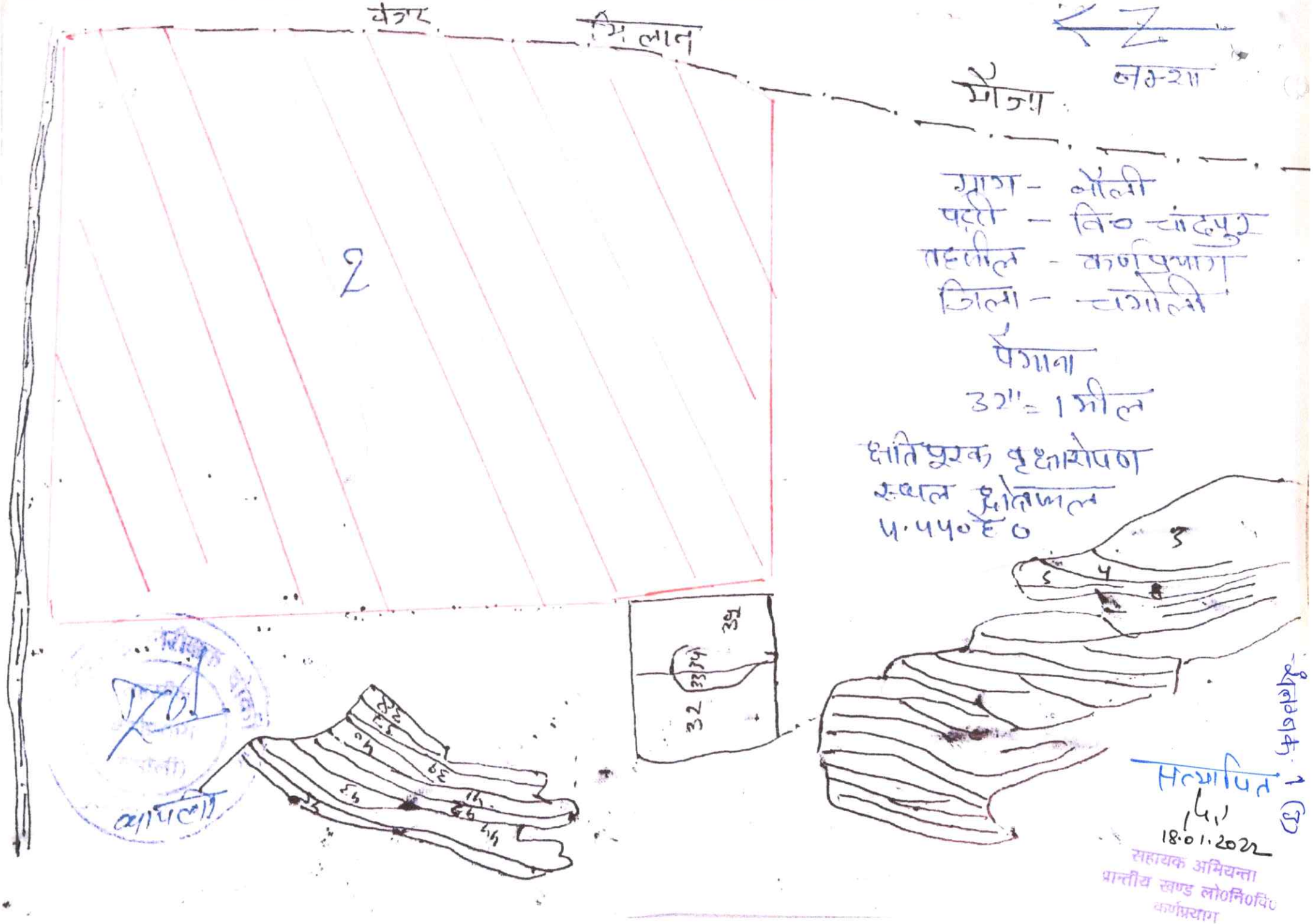

संलग्नक 1 (ग)

सत्यापित
18.01.2022

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

संलग्नक-2-(1)

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण नियमावाली, 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या FP/UK/Road/10119/2015 जनपद चमोली में बगोली–कोटी मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.219 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के लिए वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त ग्राम नौली, रा0उ0नि0 क्षेत्र थापली तहसली कर्णप्रयाग की ख0खा0सं0–12 के खसरा न0 –02 में 4.440 है0 भूमि (सिविल/सोयम/बंजर/अवनत वन /अन्य वन) इत्यादि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी चमोली के पत्रांक 5400/छब्बीस–23(2020–2021) दिनांक 17.04.2021 से हस्तान्तरित/आवन्टित कर वन विभाग के पक्ष में अमलदरामद करा दी गयी है। उक्त भूमि का खसरा खतौनी में स्वामित्व वन विभाग के नाम पर दर्ज करा दी गई है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। अधिसूचना सं0 869–F/638 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तर प्रदेश शासन की पत्र सं0 1506/14–2–97–800(II)/1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है जिसे पुनः संरक्षित वन घोषित किये जाने की आवश्यकता नही है।

(एन0एन0पाण्डेय)
वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांकः–2933/12-1 पौड़ी जून, 17 2022।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर प्रमुख वन संरक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी, (उत्तर मध्य क्षेत्र), पर्यावरण वन एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, 25,सुभाष रोड़, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– प्रमुख वन संरक्षक(HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण निदेशालय, देहरादून।
5– मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
6– सम्बन्धित जिलाधिकारी,
7– गार्ड बुक।

(एन0एन0पाण्डेय)
वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी।

संलग्नक-2(2)

परियोजना का नामः— जनपद चमोली के अन्तर्गत बगोली—कोटी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.219 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

क्र0सं0	*क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का नाम*	*क्षेत्रफल (है0 में)*
1.	ग्राम—नौली सिविल सोयम भूमि	4.440
	योग	4.440

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दस वर्षीय योजना

क्र0 सं0	**रोपित प्रजातियां**	**संख्या**
1.	बांज, काफल, आंवला, पदम इत्यादि	4884
	रोपित कुल पौध	**4884**

प्रथम चरण

क्र0 सं0	**कार्यमद का विवरण**	**मात्रा**	**इकाई**	**इकाई दर (प्रति रू0)**	**योग**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	सर्वे एवं सीमांकन	4.440	है0	168.00	745.92
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान) आदि	4.440	है0	5446.00	24180.24
3	अग्रिम दीवालबन्दी कार्य (फेन्सिंग) कार्य	4.440	है0	48000.00	213120.00
4	सहित	4884	गडढे	11.00	53724.00
6	पाधौं की कीमत (प्रथम वर्ष) उगाने का	4884	पौधे	10.00	48840.00
7	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयत्र औजार तेज करना एवं निरीक्षण बटिया	4.440	है0	1350.00	5994.00
8	कन्टूर नाली खुदान व रेखाकंन	1042.00	र0मी0	93.30	97218.60
9	जल संरक्षण कार्य/भूमि संरक्षण कार्य	4.000	सं0	25000.00	100000.00
	योग— प्रथम चरणः—				**543822.76**
	द्वितीय वर्ष				
1	गडढे भरान कार्य	4884	सं0	2.00	9768.00
2	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष	4884	सं0	3.00	14652.00
3	पौध ढुलान कार्य	4884	सं0	13.00	63492.00
4	पौध रोपण कार्य व थावला बन्दी कार्य	4884	सं0	4.00	19536.00
5	पौंधों की प्रथम निराई गुडाई	4884	सं0	2.75	13431.00
6	पौधों की द्वितीय निराई गुडाई एवं मलचिंग कार्य	4884	सं0	2.40	11721.60
8	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख—रेख पर व्यय 7 माह	7	माह	1000.00	31080.00
9.	9.1 वृक्षारोपण क्षेत्रो के अन्तर्गत सूखीघास फुंस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0 झाड़ी कटान (लैण्टाना, गाजर घास/काला बांसा)	3.500	है0	1800.00	6300.00
	9.2 वृक्षारोपण से लाभावित होने वाले ग्रामिणो को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तंथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना।			L.S	25000.00
10	बोर्ड क्रय कर लगाना एंव अन्य व्यय	1.000	सं0	L.S	10000.00
11	जल संरक्षण कार्य/भूमि संरक्षण कार्य	4.000	सं0	25000.00	100000.00
				योग— द्वितीय चरणः—	**304980.60**

	तृतीय वर्ष				
1	रोपण वर्ष के बाद तुतीय वर्ष का रखरखाव अनुरक्षण कार्य 12 माह	12	माह	1000.00	53280.00
2.	9.1 वृक्षारोपण क्षेत्रो के अन्तर्गत सूखीघास फुंस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0 झाड़ी कटान (लैण्टाना, गाचर घास/काला बांसा)	1.00	है0	1800.00	1800.00
	9.2 वृक्षारोपण से लाभावित होने वाले ग्रामिणो को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तंथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना।			L.S	26000.00
3	पौध की लागत कुल रोपण का 10 प्रतिशत	488	पौधे	13.00	6344.00
4	पौध की ढुलान	488	पौधे	13.00	6344.00
5	पुनः गढ्ढा खोदना एवं रोपण कार्य	488	पौधे	6.00	2928.00
6	गढ्ढों में गोबर खाद डालना लागत सहित	9	कु0	285.00	2565.00
7	पौधों की शीतकालीन मचलिंग	488	पौधे	2.38	1161.44
				योग तृतीय चरणः–	**100422.44**
	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण कार्य				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	53280.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	25000.00
	योग चतुर्थ चरणः–				**78280.00**
	पंचम वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	53280.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	25000.00
	योग पचम चरणः–				**78280.00**
	छठा वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	57540.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	25000.00
	योग छठा चरणः–				**82540.00**
	सातवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	53280.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	25000.00
	योग सातवां चरणः–				**78280.00**
	आठवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	53280.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	25000.00
	योग आठवां चरणः–				**78280.00**
	नौवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	53280.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	25000.00
	योग नौवां चरणः–				**78280.00**
	दसवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	53280.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	25000.00

	योग दसवां चरणः–				**78280.00**
5– कुल व्यय सांरास प्रति है0 व कुल व्यय					
क्र0 सं0	**वर्ष का नाम**	**प्रति है0 व्यय**			
1	प्रथम वर्ष	543822.76			
2	द्वितीय वर्ष	304980.60			
3	तृतीय वर्ष	100422.44			
4	चतुर्थ वर्ष	78280.00			
5	पंचम वर्ष	78280.00			
6	षष्ठम वर्ष	78280.00			
7	सप्तम वर्ष	78280.00			
8	आठवां वर्ष	78280.00			
9	नवम् वर्ष	78280.00			
10	दसम वर्ष	78280.00			
	कुंल रूपयें	**1497185.80**			
	या	**1497097.00**			
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 972/3–5–2 दिनांक 21.11.2017 के अनुसार वसूली वर्ष 2021–22 हेतु देय दर प्रति है0 रू0 337184.00		4.440	ha	337184.00	1497096.96
या देय कुल धनराशि					**1497097.00**

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

वन क्षेत्राधिकारी
पश्चिमी पिण्डर रेंज
नारायणबगड़ चमोली

Checked For Rs 14,97,097/-
Divisional Forest

संलग्नक - 3

परियोजना का नामः— जनपद चमोली के अन्तर्गत बगोली—कोटी मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.219 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के अन्तर्गत बगोली—कोटी मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.219 है0 वन भूमि **के सापेक्ष** क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल ग्राम नौली तहसील कर्णप्रयाग सिविल सोयम भूमि के खसरा नं0 02 रकवा 7.248 है0 भूमि मध्ये 4.44 है0 भूमि में पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण नही किया गया है।

वन क्षेत्राधिकारी
पश्चिमी पिण्डर रेंज, नारायणबगड़

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

संलग्नक - 4

परियोजना का नामः— जनपद चमोली के अन्तर्गत बगोली—कोटी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.219 हैक्टेयर वनभूमि का हस्तान्तरण ।

एन॰पी॰वी॰ जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि उक्त प्रकरण मे एन॰पी॰वी॰ की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा॰ उच्चतम न्यायालय द्वारा एन॰पी॰वी॰ की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है, तो एन॰पी॰वी॰ की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।

अमीन
लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

कनिष्ठ अभियन्ता
लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

सहायक अभियन्ता
लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

13.07.21

अधिशासी अभयन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

सत्यापित
19.01.2022
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

Scanned with CamScanner

संलग्नक - 5

प्रस्ताव का नामः– बगोली कोटी मोटर मार्ग का कोटी से ग्वालखेत पैंखोली तक विस्तारीकरण से प्रभावित होने वाले वृक्षों की व्यासवार पुनः गणना सूची ।

क्र0सं0	भूमि का प्रकार	प्रजाति	0–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90 से ऊपर	योग
1.	ग्वालखेत सिविल	बांज हरा खड़ा	25	32	7	0	0	0	0	0	0	0	64
		भमोर	1	0									1
		पदम	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		चीड़	0	2	3	2	1	0	0	0	0	0	8
		काफल	4	9	5	1	0	0	0	0	0	0	19
		बुरांश	8	7	4	1	0	0	0	0	0	0	20
		कुकाट	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	4
		अंयार	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		मेहल	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	5
		मेकल	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		योगः–	**42**	**59**	**20**	**5**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128**
2.	वन पंचायत कोटी	बांज हरा खड़ा	122	80	22	3	0	0	0	0		0	**227**
		बुरांश	11	8	0	0	0	0	0	0		0	**19**
		अंयार	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
		काफल	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	**6**
		चीड़	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
		पदम	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
		मोरू	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**2**
		योगः–	**135**	**94**	**26**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**258**
	वन भूमि का महायो	**महायोगः–**	**177**	**153**	**46**	**8**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**386**
3.	नापखेत कोटी	बांज हरा खड़ा	60	68	12	4	0	0	0	0	0	0	144
		उत्तीस	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		बुरांश	3	14	3	0	0	0	0	0	0	0	20
		अंयार	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3
		कुकाट	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
		भमोर	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	8
		काफल	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
		मेहल	1	6	0	1	0	0	0	0	0	0	8
		मोरू	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		अखरोट	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
		योगः–	**67**	**95**	**20**	**9**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192**

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

वन क्षेत्राधिकारी
पश्चिमी पिण्डर रेंज
नारायणबगड चमोली

संलग्नक- 6

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 06-01-2021

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6110119837
MoEF/SG File No.	83/UCP/06/109/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division, PWD, Karanprayag, Distt.- Chamoli (Uttarakhand)Chamoli
Amount(in Rs)	3372152/-

Amount in Words :Thirty-Three Lakh Seventy-Two Thousand One Hundred and Fifty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896110119837 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies ma
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

सत्यापित
18.01.2021
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोनिनिवि
कर्णप्रयाग

30 JAN

Scanned with CamScanner

संलग्नक -7

परियोजना का नामः— जनपद चमोली के अन्तर्गत बगोली–कोटी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.219 हैक्टेयर वनभूमि का हस्तान्तरण ।

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रस्तावति मार्ग के निर्माण के पश्चात सड़क के दोनों तरफ आस–पास के रिक्त स्थानों पर यथा सम्भव विभाग अपने व्यय पर वृक्षारोपण करेगा।

अमीन	कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभयन्ता
लो0नि0वि0	लो0नि0वि0	लो0नि0वि0	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग

13.07.21

सत्यापित
18.01.2022
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

Scanned with CamScanner